

न्यायालय उपजिलाधिकारी औरैया जनपद औरैया।

वाद संख्या D 201803050000293 धारा 80(1) उ0प्र0राजस्व संहिता 2006

मौजा- फरीदपुर परगना व जिला औरैया
स्व0 गुलाब सिंह शिक्षा प्रसार समिति बरम्हूपुर बनाम ग्राम पंचायत. फरीदपुर

जफम आदेश दिनांक निर्णय 28/06/2018

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही स्व0 गुलाब सिंह शिक्षा प्रसाद समिति बरम्हूपुर परगना व जिला औरैया द्वारा प्रबन्धक विश्वनाथ सिंह पुत्र स्व0 गुलाब सिंह निवासी ग्राम बरम्हूपुर परगना व जिला औरैया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 08.06.2018 अन्तर्गत धारा 80(1) उ0प्र0राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत वास्ते ग्राम फरीदपुर परगना औरैया की खाता सं0 04 की गाटा सं0 339 रकवा 1.7320हे0 लगानी 80.00 रू0 व खाता सं0 5 की गाटा सं0 337 रकवा 1.4570हे0 लगानी 59.65 रू0 का संकमणीय भूमिधर मालिक काबिज दखील है, प्रार्थी द्वारा खाता सं0 04 की गाटा सं0 339 रकवा 1.7320हे0 लगानी 80.00 रू0 व खाता सं0 5 की गाटा सं0 337 रकवा 1.4570हे0 लगानी 59.65 रू0 को अकृषिक घोषित किये जाने की याचना की गयी है, जिस पर नियमानुसार तहसीलदार औरैया द्वारा धारा 80(1) उ0प्र0राजस्व संहिता 2006 के तहत स्थलीय जांच आख्या दिनांक 15.06.2018 प्राप्त की गयी। तहसीलदार औरैया ने अपनी स्थलीय जांच आख्या में कहा है कि मौजा फरीदपुर परगना व जिला औरैया की गाटा सं0 339 रकवा 1.7320हे0 व गाटा सं0 337 रकवा 1.4570हे0 पर कृषि कार्य, मत्स्य पालन, बागवानी, कुक्कट पातन नही किया जा रहा है। मौके पर भवन पक्का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा आंशिक भाग अकृषक रूप में खाली पड़ा है। जिलाधिकारी औरैया द्वारा रेट सूची के अनुसार उक्त भूमि की सराकरी मालियत 2,00,90,700/- (दो करोड़ नब्बे हजार सात सौ रू0) प्रति हेक्टर है जिसका नियमानुसार एक प्रतिशत मालियत शुल्क 2,00,907/- रू0 (दो लाख नौ सौ सात रू0) होता है। बतौर साक्ष्य के तौर पर मौके की फोटो प्रति प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली पर उपलब्ध है, को अकृषिक घोषित किये जाने की आख्या प्रेषित की गयी है। प्रार्थी द्वारा उ0प्र0राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के प्राविधानों के तहत वर्तमान रेट सूची के अनुसार एक प्रतिशत निर्धारित शुल्क 2,00,907/- रू0 (दो लाख नौ सौ सात रू0) चालान सं0 02 दिनांक 27.06.2018 के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा औरैया में जमा किया गया जिसकी चालान की प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों एवं तहसीलदार औरैया की स्थलीय जांच आख्या दिनांक 15.06.2018 का गहनता से परीक्षण, अनुशीलन किया गया जिससे स्पष्ट है, कि तहसीलदार औरैया की स्थलीय जांच आख्या स्वीकार किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नही है। अतः

Adesh76(2)



W

2